

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 28/2021

प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:-17.06.2021

1. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी प्रेमचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थीया

बनाम

1. श्री देवकिशन पिता रामचन्द्र जाति कुमावत आयु 28 साल निवासी कासोद दरवाजा निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्री उदयराम पिता पूना जाति कुमावत आयु 70 साल निवासी कासोद दरवाजा निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. श्री हीरालाल पिता भैरा जाति कुमावत आयु 50 साल निवासी कासोद दरवाजा निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. श्री बंशीलाल पिता भागीरथ जाति कीर आयु 76 साल निवासी सिगरी हनुमान जी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सिगरी प0ह0 जलिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 07 की आराजी नं0 356/259 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीया व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 400/-रु0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सिगरी प0ह0 जलिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 07 की आराजी नं0 356/259 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीया से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)

उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेड़ा



Web Copy - Not Official

